

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

छेलूसिंह

बनाम

पदमसिंह (फौत) जरिये वारिसान सुमित्रा आदि

कि०मु०:-प्रा०पत्र अ०धा० 14 (4)

प्रकरण संख्या :-115/2023

जीसीएमएस न. 2023/115

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हए

02.01.2025

आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपीलांत ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थी आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा अपनी अपील वापिस लेना चाहता है तथा प्रकरण खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी श्री राजवीर भादू द्वारा प्रार्थी की पहचान की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर शिकायत प्रार्थना पत्र विद्रो किये जाने की अनुमति दी जाती है एवं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.04.2024 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

